

अगस्त, 2018



संवाद आपदा



एएमसीडीआरआर 2018 में भारत

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर विश्व सम्मेलन (वर्ल्ड कांग्रेस)



ले.जन. एन.सी. मरवाह (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए ने नई दिल्ली में पर्यावरण प्रबंधन तथा जलवायु परिवर्तन पर भारत के 20वें विश्व सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान एक विशेष संबोधन प्रस्तुत किया, जिसका आयोजन 6-7 जुलाई, 2018 के दौरान किया गया।

उन्होंने भागीदार देशों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रयास कार्यों के साथ अपने व्यापार हितों को समर्थन देने के लिए अपनी कॉर्पोरेट नीति को पुनः परिभाषित करने का आग्रह करते समय यह कहा 'जलवायु-संबंधी जोखिमों का प्रबंधन विकास के एक प्रमुख समर्थता कारक (इनेब्लर) है। जलवायु-संबंधित खतरों के साथ जुड़े जोखिमों की पहचान करने तथा उन्हें कम करने से लोगों को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है जिससे वहनीय/सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के उपलब्धि हासिल करने का बढ़ावा मिलता है।'

जीआईएस के अनुप्रयोग पर कार्यशाला



एनडीएमए ने 12-13 जुलाई, 2018 को डीआरआर प्रबंधन के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) पर एक दो-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। डॉ. डी.एन. शर्मा, सदस्य, एनडीएमए कार्यशाला का उद्देश्य 'किसी आपदा के दौरान जीआईएस की उपयोगिता के बारे में गहरा ज्ञान प्रदान करना था'।

इस प्रशिक्षण ने भागीदारों को यह समझने के लिए सक्षम बनाया कि किस प्रकार वेब-आधारित जीआईएस एक एकीकृत मंच के माध्यम से सूचना के प्रसार में मदद करेगा।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), दूर-संचार विभाग, असम, नगालैंड, सिक्किम, हरियाणा, मिजोरम तथा ओडिशा से कुल 22 भागीदारों ने कार्यशाला में भाग लिया।

एनडीएमएस प्रायोगिक परियोजना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

एनडीएमए ने 26-27 जुलाई, 2018 को एक दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सेवा (एनडीएमएस) से संबंधित उपकरणों को चलाने के लिए राज्य/जिला कार्मिकों को उनसे परिचित कराया तथा उनको उपकरणों के इस्तेमाल के लिए समर्थ बनाया जा सके। राज्य/जिला आपातकालीन प्रचालन केंद्र (एसईओसी/डीईओसी) में कार्य अनुभव वाले मध्यम-स्तरीय अधिकारियों को उन्नत प्रौद्योगिकी जैसी अन्य प्रौद्योगिकियों के बीच अति लघु अपर्चर टर्मिनल (पी-सेट), वायर कॉल, इंटरनेट, ई-मेल, वीडियो, सेटलाइट फोन तथा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो आदि उपकरण का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया।



एनडीएमएस गृह मंत्रालय, एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ-साथ 81 खतरा-ग्रस्त जिलों के नियंत्रण कक्षों को जोड़ने के लिए प्रायोगिक परियोजना है। इसका उद्देश्य किसी आपदा की स्थिति में बाधा रहित/अचूक संचार आधार-ढांचा तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना है।

आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण/व्याख्यान

एनडीएमए ने दिनांक 24 जुलाई, 2018 को 2016 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के चरण-2 के प्रशिक्षण के लिए आपदा प्रबंधन (डीएम) मॉड्यूल के एक भाग का आयोजन किया। इस मॉड्यूल में आपदा प्रबंधन का संपूर्ण स्पेक्ट्रम शामिल है।

प्राधिकरण ने 3 जुलाई, 2018 को लखनऊ में भारतीय रेलवे यातायात प्रबंधन संस्थान में आपदा प्रबंधन पर एक व्याख्यान भी प्रस्तुत किया। इस व्याख्यान में घटना मोचन प्रणाली (आईआरएस) को समझने और यह बताने की किस प्रकार इसे रेलवे के संदर्भ में अपनाया जा सकता है, के अलावा आपदा मोचन हेतु योजना तथा समन्वय के बारे में वर्णन करा गया।

26 जुलाई, 2018 को एनबीसी संरक्षण के भारतीय वायु सेना संस्थान, नई दिल्ली में 'सीबीआरएन आपातस्थितियों के प्रबंधन' पर एक और व्याख्यान दिया गया। सीबीआरएन आपदा प्रबंधन हेतु बड़ी आशंका की अवधारणा और आईआरएस के अनुकूलन के विषयों पर चर्चा की गई।



एएमसीडीआरआर 2018 में भारत

एशिया में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रालयीन सम्मेलन (एएमसीडीआरआर) एक क्षेत्रीय मंच है जिसका लक्ष्य क्षेत्र-क्षेत्र में डीआरआर की दिशा में साझा की गई राजनैतिक प्रतिबद्धताओं का निर्माण, उनको बरकरार रखना तथा उनको मजबूती प्रदान करना है। यह एक द्विपक्षीय सम्मेलन है जिसे वर्ष 2005 से आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनआईएसडीआर) और विभिन्न एशियाई देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता रहा है।



फोकस में

आपदाएं, अक्सर एक से अधिक बार, राजनैतिक रूप से अलग सरहदों वाले समुदायों को प्रभावित करती हैं। इसका यह अर्थ है कि देशों के आपदा जोखिम के न्यूनीकरण की दिशा में प्रयास में एक दूसरे से जुड़े होने के साथ-साथ अंतर-निर्भर होते हैं। आपस में जुड़े होने तथा सहयोग की यह भावना योगो कार्य रूपरेखा (एचएफए 2005-2015) और इसके उत्तरवर्ती सेन्डाई रूपरेखा (2015-2030) के साथ डीआरआर हेतु वैश्विक रूपरेखाओं में एक स्थायी विषय रहा है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रालयीन सम्मेलन (एएमसीडीआरआर) सहयोग की भावना को बढ़ाने का एक मंच है। एसएफडीआरआर के बाद दूसरी एएमसीडीआरआर का आयोजन 03-06 जुलाई, 2018 तक मंगोलिया देश में उलानबातार में आयोजित किया गया। इसका विषय 'आपदा जोखिम रोकना: दीर्घकालीन विकास को सुरक्षित करना' था।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण है जैसा कि दीर्घकालीन विकास हेतु 2030 अजेंडा में विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। एशियाई क्षेत्र में उपर्युक्त दिशा में कार्य हेतु कार्य-योजना पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन में 1,500 से अधिक संगठनों से 3,500 से अधिक लोग एकत्रित हुए जिनमें 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। श्री किरेन किरेन रिजिजू, गृह राज्य मंत्री की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय भारतीय शिष्टमंडल ने भी सम्मेलन में भाग लिया।

देश की तरफ से वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए श्री रिजिजू ने एसएफडीआरआर और एशिया क्षेत्रीय योजना को लागू किए जाने की दिशा में भारत के प्रतिबद्धता और सहयोग की पुनः पुष्टि की। उन्होंने कहा कि भारत अन्य देशों के साथ मिलजुल कर काम करने अपने अनुभवों से सीखने तथा डीआरआर पर अपने अनुभवों को साझा करने में विश्वास करता है।

मंत्री ने इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी रोशनी डाली कि नया आधारढांचा आपदा से निपटने के प्रति सशक्त हो, तथा सरकारों से इसको अपनी राष्ट्रीय बजट निर्माण प्रक्रिया का एक अखंड भाग बनाने का आग्रह किया।



उन्होंने डेटा को व्यवस्थित करने और राष्ट्रीय आपदा डेटाबेसों की स्थापना की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।

डॉ. पी.के. मिश्रा, प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव ने 'आपदा समुत्थानशील आधारढांचा तथा शहरी समुत्थानशीलता को सुदृढ़ करना' विषय पर एक परिचर्चा की सह-अगुवाई की उन्होंने एसएफडीआरआर में तय किए गए, हानि में कमी लाने, के लक्ष्यों को हासिल करने पर भी जोर दिया और कहा कि डीआरआर को विकास में प्रमुख स्थान दिया जाना अनिवार्य है।

इस साल जून में मुंबई में आयोजित एशियाई आधारढांचा निवेश बैंक (एआईआईबी) पर वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली की आधारढांचा में निवेश के लिए एशिया की रुचि बढ़ रही है और यह महत्वपूर्ण है कि यह निवेश इस ढंग से किया गया है कि आधारढांचा आपदाओं से सुरक्षित रहे।

लू के कारण होने वाली मौतों की संख्या में भारी कमी का होना – अर्थात् वर्ष 2015 में 2000 से अधिक मौतें हुई थी जो इस साल घट कर 22 रह गई – भारत से प्राप्त एक ऐसी सफल कहानी है।

जहां आपदा के प्रति सक्षम आधारढांचे के लिए भारी निवेश जरूरी है, वहीं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां उन्नत योजना तथा तैयारी और बहुत थोड़े निवेश के साथ परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। लू के कारण होने वाली मौतों में भारी कमी भारत से प्राप्त एक ऐसी सफलतापूर्ण कहानी है। श्री आर.के. जैन, सदस्य द्वारा इस कहानी का वर्णन, पूर्व चेतावनी तथा पूर्व कार्रवाई पर विषयगत कार्यक्रम के दौरान, किया गया।

लू-प्रभावित राज्यों द्वारा लू की रोकथाम तथा प्रबंधन पर एनडीएमए के दिशानिर्देशों के कारगर क्रियान्वयन, समयबद्ध तथा सटीक पूर्व चेतावनी और इसके व्यापक प्रसार, नियमित फॉलोअप तथा मॉनिटरिंग और विभिन्न मीडिया में स्थानीय भाषाओं में व्यापक जागरूकता सृजन अभियानों से जोखिमों को कम करने में समर्थता मिली। संख्या स्वयः ही सफलता की गाथा का वर्णन करती है—वर्ष 2015 में लू के कारण 2000 से अधिक मौतें हुई थी जो इस साल घट कर 22 रह गई हैं (राज्यों से जून, 2018 तक प्राप्त सूचना के अनुसार)।

किसने क्या कहा



किरेन रिजिजू

हम एसएफडीआरआर और एशिया क्षेत्रीय योजना के क्रियान्वयन की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता और सहयोग की पुनः पुष्टि करते हैं। इस प्रयास में, हम अन्य देशों के साथ सहयोग, डीआरआर पर अपने अनुभवों से सीखने और हमने जो इनसे सीखा, उसको साझा करने के लिए अवसरों की तरफ दृष्टि करते हैं— श्री किरेन रिजिजू, गृह राज्य मंत्री।



विकास में डीआरआर को मुख्य स्थान दिए गए बिना, एसएफडीआरआर में तय किए गए लक्ष्यों को हासिल करना अंशभव होगा।

डॉ. पी.के. मिश्रा,
प्रधानमंत्री के अपर
प्रधान सचिव।



आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेन्डाई रूपरेखा को आगे बढ़ाना इस क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट आवश्यकता है।

—मंगोलियन प्रधानमंत्री
खूरेलसुख उखना



यह सम्मेलन आपदाओं के जोखिम को कम करने तथा प्रशमन करने के लिए तथा ठोस विकास लक्ष्यों के साथ जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमों को जोड़ने के बारे में है।

—मंगोलियन उप प्रधानमंत्री
एंतुबशिन उलिजीसेकान



हमें उन लोगों की आवाजों को सुनने की जरूरत है। जिन्हें आपदाओं की घटनाओं में बेहिसाब नुकसान हुआ है।


दिवयांगों, वृद्धों, महिलाओं, बच्चों तथा स्वदेशी समुहों का परामर्श लिए जाने की जरूरत है और उनको उनके समुदायों में परिवर्तन के वाहक के रूप में कार्यरत किए जाने की आवश्यकता है।

—डीआरआर के संयुक्त राष्ट्र महा-सचिव के विशेष प्रतिनिधि मामी मिजुलोरी



हमारा लक्ष्य समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर आपदा के जोखिम से निपटना है। हम एक ऐसा समावेशी दृष्टिकोण चाहते हैं जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तरों पर डीआरआर योजनाओं तथा तरीकों में सम्बद्धता/तालमेल लाए।

—लोरेटा हाइबर-गिराडेट, एशिया प्रशांत में यू.एन.आई.एस.डी. आर. क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख



“सांस्कृतिक विरासत तथा आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम)” पर साइड इवेंट

सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्मारक तथा स्थल परिसर (आईसीओएमओएस) के सहयोग से ‘सांस्कृतिक विरासत तथा आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम)’ पर एक विशेष सत्र का नेतृत्व किया जिसमें आपदाओं से सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में आ रही चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए भारत, इंडोनेशिया, म्यांमार, नेपाल, जापान, तुर्की तथा थाइलैंड से शीर्ष विशेषज्ञों को एक मंच पर इकट्ठा किया। इसने स्थानीय समुदायों समेत हितधारकों को काम में शामिल करके सांस्कृतिक विरासत स्थलों तथा संग्रहालयों की समुत्थानशीलता मजबूत करने पर अच्छी प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में काम किया। सत्र में बड़ी आपदा घटनाओं के बाद सांस्कृतिक विरासत क्षेत्र में आपदा-पश्चात् पुनर्हाली के रूप में चर्चा की गई इनमें बाम भूकंप (ईरान 2003), योग्यकर्ता भूकंप (इंडोनेशिया 2006) तथा गोरखा भूकंप (नेपाल 2015) शामिल थे।

श्री कमल किशोर, सदस्य, एनडीएमए जिन्होंने सत्र का संचालन किया, ने कहा ‘जब आपदाओं के संदर्भ में सांस्कृतिक विरासत पर ध्यान देने की बात आती है, तो इसके लिए एक बहु-विषयक दृष्टिकोण आवश्यक है। इसके लिए भौतिक पहलू से आगे जाने और सामाजिक तथा आर्थिक प्रणालियों पर जोखिम से सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण न कर पाने के असर पर दृष्टि डालने की जरूरत है।’

आपदा जोखिमों का अस्तित्व शून्य/खाली स्थान में नहीं होता है। आपदाएं प्राकृतिक खतरों तथा मानवीय कार्यकलापों के बीच पारस्परिक क्रियाओं (इंटरप्ले) का एक परिणाम है। केवल सहयोग आधारित प्रयास इन जोखिमों का समाधान कर सकते हैं, इनसे लड़ने की ताकत को बढ़ा सकते हैं और हमें एक बेहतर तथा सुरक्षित दुनिया की ओर ले जा सकते हैं। एएमसीडीआरआर 2018 में भागीदारी करने वाले देशों ने आपदा जोखिम रोकने तथा कम करने और समुदायों, राष्ट्रों तथा एशियाई क्षेत्रों की समुत्थानशीलता को मजबूत करने के लिए के काम पर लक्षित-‘उलानबातार घोषणा’ को अपनाकर सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया।

इस राजनैतिक प्रतिबद्धता की कार्य-योजना ‘एशियाई क्षेत्रीय योजना 2018-2020’ में तैयार की गई थी जिसका फोकस सेन्डाई रूपरेखा-लक्ष्य की सर्वाधिक तात्कालिक समय सीमा तक लक्ष्य पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पर है जिसके लिए वर्ष 2020 तक राष्ट्रीय तथा स्थानीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों के साथ देशों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की जानी है। डीआरआर के विशिष्ट पहलुओं पर फोकस के साथ भागीदार हितधारक समूहों ने भी आपदा जोखिम कम करने के लिए प्रयासों हेतु कार्य के स्वैच्छिक कथनों की शपथ ली।

एएमसीडीआरआर 2018 के परिणामों ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एसएफडीआरआर को लागू करने के लिए एक स्पष्ट कार्य-योजना निर्दिष्ट की है। चूंकि, यह क्षेत्र संसार की आपदा-प्रभावित आबादी के 88 प्रतिशत हिस्से के लिए घर है, इसलिए यहां पर की गई बेहतरी से पूरे संसार के परिदृश्य पर बेहतरी/अच्छा होगा।

इस द्विवार्षिक सम्मेलन का अगला संस्करण (एडिशन) ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। समापन समारोह में इसकी घोषणा करते हुए, ऑस्ट्रेलिया के अंतरराष्ट्रीय विकास मंत्री तथा प्रशांत सीनेटर कोनसेटा, फायरावन्ती-वेल्स ने कहा ‘हम सेन्डाई रूपरेखा की चौथी प्राथमिकता विशेष रूप से आपदा समुत्थानशीलता के लिए कैसे तैयारी की जाए, पर विशेष प्रकाश डालेंगे।’

भारतीय किशोर की लघु-फिल्म ‘गर्मी की लहरों’ ने पुरस्कार (अवार्ड) जीता

एएमसीडीआरआर 2018 में विषय ‘आपदा जोखिम रोकना; ठोस विकास को संरक्षित करना’ पर एक लघु-फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अहमदाबाद के एक 17 वर्षीय किशोर रामेश्वर मिहिर भट्ट की फिल्म “गर्मी की लहरों” ने अव्यवसायी श्रेणी में पुरस्कार जीता। समापन समारोह के दौरान मंगोलिया के उप-प्रधानमंत्री द्वारा भट्ट का अभिनंदन किया गया। •



एएमसीडीआरआर में 2018 पर किरेन रिजिजू

एएमसीडीआरआर 2018 में भारत के शिष्टमंडल का नेतृत्व किरेन रिजिजू, गृह राज्य मंत्री ने किया। आपदा संवाद ने श्री रिजिजू जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एशिया के रीजनल चैंपियन भी हैं। के साथ क्षेत्रीय तथा वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के परिदृश्य पर भारत में नजरिए को समझने के लिए बात-चीत की।

प्रश्न. एएमसीडीआरआर 2018 पर अपने अनुभव के बारे में हमें बताएं ?
उत्तर. नई दिल्ली में आयोजित एएमसीडीआरआर 2016 से लेकर इस साल उलानबातार में हुए सम्मेलन तक की यात्रा एक अद्भुत अनुभव रहा है। इन वर्षों के दौरान डीआरआर के विभिन्न क्षेत्रों में काफी प्रगति की गई है। एएमसीडीआरआर 2018 में डीआरआर की दिशा में हमारे प्रयासों को एक नया आवेग दिया है।

सेन्डाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण रूपरेखा (एसएफडीआरआर) में रखे गए लक्ष्य ठोस विकास लक्ष्यों के साथ निकटता से जुड़े हैं। इनको तभी हासिल किया जा सकता है यदि जान तथा आजीविका, दोनों के मामले में हानि का प्रशमन कर सकें, समुत्थानशील आधारढाचा तैयार करें और स्वयं को आपदाओं तथा जलवायु परिवर्तन के आसन्न असरों से निपटने के लिए तैयार करें। इस दिशा में, उतानबातार सम्मेलन ने एशियाई क्षेत्र को सही दिशा दिखाई है।

ऐसा पहली बार हुआ है कि मंगोलिया जैसे एक पत्तनविहीन (लैंडलॉकड) देश ने एशिया में ऐसे सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में 50 से अधिक देश इकट्ठे हुए और चर्चा की तथा राजनैतिक तथा तकनीकी, दोनों तरह की विषय-वस्तु को तैयार किया गया। आसन्न मुद्दों जैसे एसएफडीआरआर के लक्ष्य की (अर्थात् 2020 तक राष्ट्रीय तथा स्थानीय डीआरआर रणनीतियों के साथ देशों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करना) पर चर्चा की गई।

यह सम्मेलन इस बात की पुनः पुष्टि करने के लिए एक अच्छा अवसर सिद्ध हुआ कि हमने अब-तक क्या हासिल किया और भविष्य में क्या किए जाने की जरूरत है।

प्रश्न. एएमसीडीआरआर 2018 में देश की तरफ से प्रस्तुति देते समय, आपने नई दिल्ली में एएमसीडीआरआर 2016 के दौरान रेखांकित डीआरआर पर प्रधानमंत्री के 10 सूत्री एजेंडा का उल्लेख किया। उस दिशा में हम कहाँ ता पहुंचे हैं ?

उत्तर. प्रधानमंत्री का 10 सूत्री-एजेंडा न केवल भारत बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए प्रासंगिक है। सेन्डाई रूपरेखा की 15-वर्षीय समय-सीमा इस बात पर बल देती है कि सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों को यह सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों को अपनाना चाहिए की रूपरेखा में तय किए गए लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। प्रधानमंत्री का ऐसी चीजों पर फोकस है जैसे अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बने जिसमें सभी हितधारक उभयनिष्ठ/समान लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए साथ आएँ, ऐसे लोगों तथा क्षेत्रों तक पहुंच बनाए जो अभी तक अछूते हैं, एक समुत्थानशील आधारढाचा तैयार करें तथा विभिन्न स्तरों पर सभी समुदायों को इस काम में शामिल करें ; जिनसे यह पता चले कि किन बातों पर भारत तरक्की कर रहा है। इसके अलावा यह सब बातें एसएफडीआरआर के पूरी तरह अनुरूप हों।

हम सही रास्ते पर जा रहे हैं और सेन्डाई रूपरेखा को लागू करने के लिए एक वास्तविक कार्रवाई को अंजाम देने के अपने लक्ष्य की सही दिशा में तरक्की कर रहे हैं।

प्रश्न. आपने 2020 तक एक राष्ट्र-स्तरीय आपदा डेटाबेस स्थापिक करने के बारे में भी कहा था ? इस डेटाबेस को तैयार करने और इसकी सटीकता को सुनिश्चित करने में शामिल चुनौतियाँ क्या हैं ?

उत्तर. योगो कार्य रूपरेखा (2005-2015) के विपरीत, सेन्डाई रूपरेखा अपने हस्ताक्षरकर्ता देशों को परिणामों के प्रति प्रतिबद्ध करती है-कुल 7 लक्ष्य हैं जिनमें से 4 लक्ष्य नुकसान में कमी लाने वाले लक्ष्य हैं-और 2030 में हमारी सफलता मृत्यु दर, आर्थिक हानियों, प्रभावित लोगों की संख्या और आधारढाचा को हुए नुकसानों में कमी से निर्धारित होगी। अतः अपनी तरक्की को नापने योग्य बनने के लिए, हमें एक आधार-रेखा की आवश्यकता है। ये आधार-रेखा तभी तैयार हो सकती है जब हमारे पास आंकड़े (डेटा) हो। एसएफडीआरआर को बनाने के लिए आधार-रेखा की आवश्यकता निर्विवाद है जो बाद में एक राष्ट्रीय आपदा डेटाबेस को बनाना अनिवार्य करती है।

वर्तमान में, हम केवल बड़ी आपदाओं पर फोकस करते हैं जो राष्ट्रीय या

अंतर्राष्ट्रीय सुर्खिया बनती हैं ; तथापि, अनेक लघु या मध्यम स्तरीय आपदाएं हैं जो कई बार घटित होती हैं। इन आपदाओं का मिला-जुला असर काफी उल्लेखनीय होता है और कई बार यह एक बड़े आपदा के असर की तुलना में भी अधिक होता है। अतः यह अतयंत महत्वपूर्ण है कि इन घटनाओं को रिकॉर्ड किया जाए ताकि वे जोखिम के आंकड़ों आदि के संचय की कहानी को पूर्ण रूप दे सकें।

ऐसा डेटाबेस तैयार करने में कई चुनौतियां हैं। एक सुझाव विश्लेषण करने के काबिल बनने के लिए हमें आंकड़ों का सिंघावलोकन करने की जरूरत है। लेकिन भूतकाल के आंकड़े अनियमित तथा अविश्वसनीय हो सकते हैं। इसलिए यह एक बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार पूरे देश में ऐतिहासिक आंकड़े तैयार और रिकॉर्ड में रखे जाएं ताकि न केवल हमारे पास एक आधार-रेखा हो बल्कि हम रुझानों को देखने में समर्थ हो सकें।

दूसरी बात, आपदा को जिम्मेदार बनाने की चुनौती है। कुछ आपदाएं किसी प्राथमिक घटनाओं से जुड़ी होती हैं जिनके कारण कई द्वितीयक घटनाएं हो जाती हैं। इनमें से किस घटना को विशेष हानि आरोपित की जाए, ऐसा करना एक बड़ी चुनौती बनी रहती है।

एक और चुनौती स्थानीय स्तर-ब्लॉक से लेकर ब्लॉक और ग्रामीण स्तर तक-पर क्षमता प्रदान करने की है ताकि इस बात की एक आम समझ बन जाए की आपदा डेटाबेस क्या है और एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जो सरकार के विभिन्न स्तरों को जोड़ता है ताकि आंकड़ों को संग्रहण लगातार ढंग से किया जाता रहे और जोखिम, खतरा, उसके असरों की एक आम समझ बन जाए।



कुछ आपदाओं के लिए कटा-ऑफ प्वाइंट की भी चुनौती है जिस पर यह निश्चित किया जाए कि किसी खास घटना के लिए डेटा/आंकड़े अंतिम है। उदाहरण के लिए एक विशेष बाढ़ घटना के लिए एक नुकसान लगातार बढ़ते रहते हैं। इसलिए उस प्वाइंट जिस पर हानि की संख्याओं को अंतिम रूप दिया जाए, को तय करना एक कठिन बात है।

तथापि, ये कोई अति कठिन चुनौतियां नहीं हैं और इनका समाधान किया जा सकता है।

प्रश्न. किसी आपदा की स्थिति में, जिंदगी, आजीविका, सार्वजनिक आधारवांचा तथा अनिवार्य सेवाओं की पुनर्बहाली पर विशेष ध्यान दिया जाता है और सांस्कृतिक विरासत के पहलू इनमें गौण हो जाते हैं। किस तरह भारत अपने संग्रहालयों तथा विरासत स्थलों, की इन आपदाओं से निपटने के लिए, क्षमता/ताकत को और मजबूत बना रहा है ?



उत्तर. भारत सरकार ने दो दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनके शीर्षक संग्रहालयों पर दिशानिर्देश तथा सांस्कृतिक विरासत स्थल तथा आस-पास का परिवेश पर दिशानिर्देश हैं। मुख्य बात यह है कि अपनी विरासत की ओर देखना न केवल कुछ भावनात्मक है बल्कि यह लोगों की जिंदगियों, आजीविकाओं तथा संस्कृति से भी निकटता से जुड़ा है।

इसके साथ ही यह एक आर्थिक कोड भी है-जैसे मान लो यदि सांस्कृतिक विरासत किसी आपदा से प्रभावित होती है, तो इसके कारण सांस्कृतिक विरासत स्थल को नुकसान पहुंचने के अलावा कई लोगों का काम और आजीविका छिन जाएगी। और इसको पुनर्बहाली करने में भी अलग से राशि खर्च होगी। चूंकि, हमारा सामाहिक ताना-बाना हमारी सांस्कृतिक विरासत के इर्द-गिर्द बना हुआ है जिसमें लोग विरासत स्थल में, इसके बाहर या चारों तरफ रहते हैं, इसलिए हमें एक समेकित, समग्र तरीके से विरासत और उसकी समुत्थानशीलता की तरफ देखने की आवश्यकता है।

प्रश्न. 'इस कार्य में किसी को भी पीछे न छोड़ा जाए' का प्रण ठोस विकास के लिए 2030 अजेंडा की आधारशिला है। हम डीआरआर में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने की किस प्रकार योजना बना रहे हैं ?



उत्तर. किसी आपदा स्थिति में सर्वाधिक प्रभावित लोग समाज के सबसे अधिक असुरक्षित तथा कमजोर वर्गों के लोग होते हैं- गरीब, महिलाएं, बच्चे और दिव्यांग। हमें जमीनी स्तर पर नेतृत्व निर्मित करने और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने की जरूरत है। एक बार हम यह हासिल कर लें तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण समाज-संपूर्ण देश- आपदा से लड़ने में सक्षम हैं।

हम हमारे लक्ष्य की तरफ अच्छी तरह कदम बढ़ा रहे हैं लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलेंगे।

हमें वास्तव में सर्वाधिक असुरक्षित वर्ग पर विशेष फोकस करने के साथ सभी सामाजिक-आर्थिक वर्गों को होने वाली हानियों को कम करना है।

हमारे प्रधानमंत्री जी का 10-सूत्री एजेंडे में भी इस संकल्पना पर विचार किया गया है। वास्तव में, दो बिंदुओं- महिला नेतृत्व पर तथा न केवल उनकी साझेदारी या भाग लेने का काम हो और दूसरा स्थानीय स्तर पर पूरा फोकस करना- पर "सबको इस काम में शामिल किया जाए, किसी को भी पीछे न छोड़ा जाए" की भावना होनी चाहिए।

प्रश्न. मौजूदा जोखिम कम करने, भावी और नए जोखिमों के बनने को कम करने के लिए एसएफडीआरआर, एसडीजी और सीओपी 21 के बीच सुसंगति/तालमेल महत्वपूर्ण है। इस सुसंगति को हासिल करने की दिशा में हम कहां तक पहुंचे हैं ?

उत्तर. ठोस विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अंतर्गत कुछ लक्ष्य सेन्डाई रूपरेखा के साथ निकटता से संबद्ध हैं। नीति आयोग के नेतृत्व में हमने यह सुनिश्चित किया है कि एसडीजी के आपदा से जुड़े तत्वों और एसएफडीआरआर में जो तय किया गया है, उनके बीच एकरूपता (अलाइमेंट) हेतु एनडीएमए इस दिशा में नीति आयोग के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर काम कर रहा है।

प्रश्न. भारत को आप वैश्विक डीआरआर मंच पर कहां देखते हैं ?

उत्तर. भारत एक उपमहाद्वीप हैं। हमारे यहां लगभग सभी तरह की आपदाएं आती रहती हैं जैसे बाढ़ से लेकर सूखा, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन, आंधी-तूफान तथा बादल का फटना आदि अर्थात् इस ग्रह पर घटने वाली सभी तरह की आपदाएं हमारे देश पर प्रहार करती रहती हैं। हमारा देश संसार के सर्वाधिक आबादी वाले देशों में से एक है। चीन के साथ हमें

मिलाकर मनुष्यों की मोटे तौर पर कुल आबादी संसार की कुल आबादी का लगभग दो बंटा पांच (2/5) है। यदि भारत डीआरआर के काम में असफल होता है तो संसार भी असफल हो जाएगा। यदि भारत सफल होता है तो, तो यह पूरे संसार की सफलता है। भारत अपने बड़े आकार के कारण भी इस मामले में मायने रखता है। इसके अलावा, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आपदाओं की तीव्रता तथा असर भी बहुत अधिक है। इसलिए भारत को नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए और एक सुदृढ़ राजनैतिक इरादा रखना चाहिए और एक ऐसा अनुकूल सिस्टम जो डीआरआर के अनुकूल हो, तैयार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

सरकार ने डीआरआर की दिशा में एक अधिक सकारात्मक भूमिका निभाई है। आपदा प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय अर्थात् गृह मंत्रालय आपदा जोखिम न्यूनीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठा रहा है।

एनडीएमए जो देश में शीर्ष आपदा प्रबंधन निकाय है, सरकार के सभी स्तरों के सभी हितधारकों के बीच प्रयासों के समन्वय में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। यह दूरदृष्टि को मार्गदर्शन दे रहा है और उभयनिष्ठ लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए सभी हितधारकों को सहायता प्रदान कर रहा है। एनडीएमए ने भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को भी तैयार किया है जिसको प्रधानमंत्री ने 2016 में प्रारंभ (लांच) किया था। भारत संसार के उन पहले देशों में से है जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय योजना को सेन्डाई रूपरेखा के चार प्राथमिकता वाले विषयों के अनुरूप बनाया है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) पर प्रधानमंत्री का 10-सूत्री अजेंडा

पहला सूत्र, सभी विकास क्षेत्रों को आपदा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों को आत्मसात् करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विकास परियोजनाएं- हवाई अड्डे, सड़क, नहरें, अस्पताल, स्कूल, पुल- उचित मानदंडों के अनुसार बनाएं जाएं और इन्हें जिन समुदायों के लिए बनाया गया है, ये उन समुदायों की आपदा का सामना करने की क्षमता में अपना योगदान दें। दूसरा सूत्र, गरीब घरों से लेकर छोटे तथा बड़े उद्यमों, और बहु-राष्ट्रीय निगमों से लेकर देश के राज्यों तक- सभी के लिए जोखिम कवरेज हो।

तीसरा सूत्र, आपदा जोखिम प्रबंधन के काम में महिलाओं को अधिक-से-अधिक शामिल करने और उनके नेतृत्व को लाने के काम को बढ़ावा दिया जाए।

चौथा सूत्र, विश्व स्तर पर जोखिम मैपिंग के काम में निवेश। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि हमें संसार के सभी भागों में आपदा जोखिमों की प्रकृति तथा गंभीरता की आम समझ होनी चाहिए।

पांचवां सूत्र, हमारे आपदा जोखिम प्रबंधन प्रयासों की कारगरता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ाया जाए। ऐसा एक ई-मंच हो जो संगठनों तथा व्यक्तियों को एक-साथ लेकर आए और उनको मैप बनाने के काम में तथा विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी का विनिमय में मदद करें और हमारे संसाधन हमारे सामूहिक प्रभाव को अधिकाधिक बनाने के लिए दीर्घ अवधि तक कार्य करें।

छठा सूत्र, आपदा के मुद्दों पर काम करने के लिए विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क विकसित करना।

सातवां सूत्र, सोशल मीडिया और मोबाइल प्रौद्योगिकियों द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसरों को उपयोग किया जाए।

आठवां सूत्र, स्थानीय क्षमता तथा पहल बनाना।

नौवां सूत्र, यह सुनिश्चित किया जाए कि आपदा से सीखने के अवसर को बर्बाद न किया जाए। हर आपदा के बाद, उन सीखे गए सबकों जिनका बहुत कम उपयोग होता हो, पर दस्तावेज तथा रिपोर्टें बनाई जाएं।

और आखिरी दसवां सूत्र, आपदाओं के प्रति अंतर्राष्ट्रीय मोचन में और अधिक एकजुटता को लाया जाए।



भूस्खलन

क्या आप इसका सामना करने के लिए तैयार हैं ?

भूस्खलन से पहले	उसके दौरान	और बाद में
<p>—अधिक संख्या में ऐसे पेड़ लगाएं जो मिट्टी को एकत्रित करके रखें।</p> <p>—किसी भी अलर्ट के लिए रेडियो सुनें/दूरदर्शन देखें तथा अखबार पढ़ें।</p> <p>—नालों की सफाई रखें, छिद्रों (होलों) को खुला रखें।</p> <p>—किसी भी चेतावनी संकेत जैसे बिल्डिंग का झुकना, चट्टानों पर दरार पड़ना, कीचड़-युक्त नदी का पानी पर निगाह रखें।</p> <p>—तेज ढलानदार तथा नालों के रास्तों के पास कोई निर्माण कार्य न करें।</p>	<p>—शांत रहें। डरें नहीं। अफवाहों पर ध्यान न दें।</p> <p>—अपने मित्रों के साथ—साथ अपने मित्रों के लिए रहें।</p> <p>—यदि आपके नोटिस में कोई चेतावनी संकेत आए जैसे पेड़ों के टूटने की या बोल्टडरों के आपस में टकराने की असामान्य आवाजें, तो सतर्क रहें।</p> <p>—भूस्खलन के रास्ते या नीचे की तरफ जाने की घाटी से तेजी से दूर हट जाएं।</p> <p>—निकटतम तहसील/जिला मुख्यालय को सूचना दें।</p>	<p>—गिरे पड़े सामान तथा बिजली की तारें या खंभों को न छुएं/उन पर से गुजरकर न जाएं।</p> <p>—भूस्खलन के रास्ते या नीचे की तरफ जाने की घाटी से तेजी से दूर हट जाएं।</p> <p>—घायल तथा फंसे हुए लोगों की तलाश करें।</p> <p>—घायल व्यक्तियों को बिना किसी प्राथमिक सहायता दिए तब तक कहीं मत ले जाएं जब तक वह किसी तुरंत खतरे के अंदर न हों।</p> <p>—संक्रमित पानी को सीधे नदियों, झरनों, कुओं आदि से न पिएं।</p>

होशियारी रहें,
तैयार रहें